

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
--00--
आदेश

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

क्रमांक **ESTB- 1024/1222/2025/38-1** पी.एम. उषा मद से आबंटित की गई राशि में गड़बड़ी, जैम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किये जाने में आर्थिक अनियमितता में संलिप्तता पायी गई है। तथा इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2025 के संगत नियमों का पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. योगेन्द्र कुमार पटेल, प्राचार्य, श्री भूषण जय गोयल, सहायक प्राध्यापक, श्री किशोर कुमार कोठारी, सहायक प्राध्यापक, श्री हरीश चंद बैद, सहायक प्राध्यापक, एवं श्री नोहर राम, सहायक प्राध्यापक, नवीन वीरांगना रमोतिन माडिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय जगलपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

5/ इस संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया पृथक से की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
DHANANJAY NETAM
Date: 08-01-2026

16:58:04

(धनंजय नेताम)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक **ESTB- 1024/1222/2025/38-1** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक
प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

02. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

04. कलेक्टर, जिला-नारायणपुर (छ.ग.)
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-नारायणपुर (छ.ग.)
06. क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
07. संबंधित
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
08. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
DHANANJAY NETAM
Date: 08-01-2026
16:50:26

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग